के समय पत्र सं. व विषय का उल्लेख अवश्य करें व समस्त कार्यवाही राष्ट्रभाषा हिन्दी में करें

28.02.2022

.आई.डी.ई.आई./2

DEI-Registrar O
Receipt No. 2772
28 FEB 2022

Sh. H. K. Khanna
28/2
Registrar

लीय अधिकारी,
,
आई. डीम्ड यूनीवर्सीटी,
लबाग, आगरा 282005

होदय

विषयः सूचना के अधिकार के अंर्तगत सूचना।

संदर्भः (1) सूचना के अधिकार के अंर्तगत मेरा पत्र दिनॉक 25.01.2022
(2) जन सूचना अधिकारी का पत्र दिनॉक 22.02.202

सूचना के अधिकार के अंर्तगत वांछित सूचना के संबंध में जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित सूचना, सूचना उपलब्ध कराने के स्थान पर सूचना को छिपाने, पूर्व की भांति, का असफल प्रयास किया गया है अतः मै तथ्यों के सहित पुनः आपके समक्ष अपनी अपील रख रहा हूं।

1. मेरे पत्र दिनॉक 25.01.2022 के अंतर्गत प्रत्येक छायाप्रति की सत्यापित प्रति के लिये निवेदन किया गकया था, परन्तु खेद का विषय है कि एक भी सत्यापित प्रति उपलब्ध नही करायी गयी है। सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करायी जाय।
2. आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 1 के संबंध में निवेदन है कि दी गई जानकारी अधूरी है (अ)पत्र दिनॉक 08.12.2021 के साथ उसका संलग्नक नही उपलब्ध कराया गया है, संलग्नक उपलब्ध कराया जाय (ब) 07.01.2022के पत्र संख्या 307 के अंर्तगत, जिलाधिकारी के द्वारा पत्र संख्या 302 दिनॉक 22.12.2021 व संस्थान के द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रारूप –1 की सूचना का उल्लेख है। जो उपलब्ध नही करायी गयी है। सूचना छिपाने वाले कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कृत कार्यवाही की सूचना व वांछित संबंधित सूचना उपलब्ध करायी जाय। (स) पत्र संख्या 2320 दिनॉक 08.01.2022, में उल्लेखित संलग्को की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध नही करायी गयी है।
3. आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 2 के संबंध में निवेदन है कि दी गई जानकारी अधूरी है तथा (अ)पत्र दिनॉक 27.10.2016 के साथ उसका संलग्न नही उपलब्ध कराया गया है। (ब) पत्र दिनॉक 23.10.2016 के साथ उसका संलग्न नही उपलब्ध कराया गया है।
4. आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 3 के संबंध में निवेदन है कि वैब पॉटल पर जिस अभिलेखों के माध्यम से सूचना डायरेक्ट फीड की गयी थी, उसकी सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय। जहां तक कर्मचारियों के अन्य विवरण का प्रश्न है तो मै आपको सूचित करना चाहता हूं कि जब वह सूचना शासन को उपलब्ध करावा दी गयी है तो वह सूचना व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? इसके अतिरिक्त व्यक्ति का बैंक नम्बर व्यक्तिगत सूचना में नही आता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो बिना बैंक एकाउंट के सूचना उपलब्ध करवायी जाय।
5. आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 4 के संबंध में निवेदन है कि समस्त सूचना उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी जनसूचना अधिकारी की है। अगर अभिलेखों में उपलब्ध नही है तो उपलब्ध रिर्काड के आधार पर सूचना जनरेट कर उपलब्ध करवायी जाय। अन्यथा यह मानते हुए की जनसूचना अधिकारी सूचना छिपा रहें है, कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध करवायी जाय।
6. आपके उपरोक्त पत्र के बिन्दु संख्या 5 के संबंध में निवेदन है कि आपकी सूचना से यह प्रतीत होता है कि जनवरी 2020 के पश्चात संस्थान मात्र उस अवधि के लिये बंद रखा गया जिसके संबंध में सूचना उपलब्ध करायी है। अन्य समय संस्थान खुला हुआ था।

<u>अपील</u>

7. उपरोक्त उल्लेखित बिन्दु 1 से 5 तक के संबंध में कृत कार्यवाही कर वांछित प्रपत्र उपलब्ध कराये जाय।
8. जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना छिपाने/भ्रामक सूचना देने/गुमराह करने के आरोप में कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

सम्पूर्ण सिंह
61–बी. अदन बाग कॉलोनी,
दयालबाग, आगरा 282005

DAYALBAGH EDUCATIONAL INSTITUTE
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
DAYALBAGH
AGRA - 282 005, UP (INDIA)

Phone : 0562-2801545, Fax : 0562-2801226
website :- http://www.dei.ac.in

O/C

No. DEI/First-Appeal/RTI_61922/2984 24-03-2022

Sh. Sampurn Singh
61-B, Adanbagh Colony,
Dayalbagh
Agra - 282005

Subject: Reply under RTI Act, 2005 – First Appeal

References:
RTI application filed on : 25-01-2022
PIO replied on : 22-02-2022
First Appeal filed on : 28-02-2022

Dear Mr. Sampurn Singh,

Please refer to your first appeal under RTI Act, 2005 dated 28-02-2022; having examined your original RTI application and the reply provided by the Public Information Officer of this Institute vide letter no. DEI/ADMIN/RTI_61122/2709 dated 22-02-2022. It has been noted that:-

You had sought;

a. Photocopy of all correspondence between the Institute and Election office, Agra related to Election 2017 and Election 2022.

b. Photocopy of all office orders/circulars related to closure of the Institute due to Covid-19 since January 2020.

c. A list of employees whose names alongwith other details were furnished/not furnished to Election Office, Agra for the purpose of Election 2017, and 2022.

Regarding points a & b above. You did not disclose specific reference/letter no./letter date in your RTI application for obtaining information. Therefore, your query seems to be voluminous and unspecific. Public information Officer has already provided considerable information in this regard (19 pages).

Regarding point c above, details of the employees bearing some personal information such as mobile no. and bank account number etc. was entered on web portal of Election office. This information was fed by the Institute as per the orders of the local Govt. administration for the election purpose only. Therefore, the information (the details of the employees) does not serve any larger public interest. Hence, it cannot be furnished u/s 8(1)(j) of RTI Act, 2005. After having regard to your being an employee of the Institute, it may further be mentioned that Institute is not obliged to generate information to meet your frequent requests without a valid reason. Your frivolous and contentious demands amount to huge diversion of limited resource of the Institute. Hence, you are requested to desist from it.

In view of the above, your appeal is disposed off accordingly.

Yours faithfully,

Appellate Authority

59321

R-472
14/6/21

DEI-Registrar Office
Receipt No. 1581
14 JUN 2021

Sh Hans Khanna
AO(C)
14/6/2021

दिनॉक: 13.04.2021

कारी
कुलसचिव
यूनीवर्सीटी,
आगरा 282005

विषयः सूचना के अधिकार के अंर्तगत सूचना– प्रथम अपील

संदर्भः 1. जनसूचना अधिकारी का पत्र सं. **DEI/ADMIN/RTI_58921/**19 दिनॉक **05-04-2021**

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में आपको निम्नलिखित सूचित करना है।

1. "संस्थान द्वारा .... कराया जा चुका है" सूचित करना है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा पुनः जानकारी को न देने/छुपाने का प्रयास किया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि सूचना के अधिकार के अंर्तगत सूचना न देने पर संबंधित नियम का संदर्भ देना होता है जो इस बिन्दु संख्या में नही किया गया है। सूचना के अधिकार में कहीं भी यह नही लिखा है कि अगर कोई सूचना पूर्व में दी जा चुकी है तो उसको पुनः मॉगने पर उसको पुनः न दिया जाय। जनसूचना अधिकारी ने ज्ञान के आभाव में ऐसा किया है। अतः जैसा जनसूचना अधिकारी ने लिखा है, उसके अनुसार पूर्व में दी गई सूचना की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

2. "कृपया ..... को देखें " उपरोक्त 1 में वर्णित मेरे तर्क व नियम के अनुसार सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

3. "संस्थान की .... अपनी सेवाएं दे रहे है। " जन सूचना अधिकारी ने वांछित सूचना से इतर सूचना दी है। जो सूचना मेरे सूचना के अधिकार में वांछित उसी के अनुसार सूचना देने का निर्देश जनसूचना अधिकारी को दिया जाय।

4. "पत्र सख्या ....उपलब्ध करायी जा चुकी है " अगर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नही है तो कृपया उस डाक बुक आदि की सत्यापित छायाप्रति देने की कृपा करें जिसके माध्यम से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किये गये थे।

5. "श्री सम्पूर्ण सिंह..........सलंग्न है " निवेदन है कि मेरे द्वारा इस संबंध में सत्यापित प्रतिलिप वांछित थी, जबकि उपलब्ध करायी गयी छायाप्रति पर कोई सत्यापन किसी के द्वारा भी नही किया गया है। अतः सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाय।

6. "श्री राम बचन..........सलंग्न है " निवेदन है कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा या तो यह प्रयास रहता है कि सूचना दी ही नही जाय या आधि अधूरी भ्रम पूर्वक सूचना उपलब्ध करायी जाय, वही इस बिन्दु में भी किया गया है। मेरे द्वारा वांछित सूचना के अनुसार की कार्यवाही के बारे मे जानकारी की सत्यापित प्रतिलिपि नही उपलब्ध करायी गयी है। कृपया इसको अविलंब कराया जाय।

अपील

7. मेरे द्वारा वांछित सूचना, जैसा कि उपर प्रत्येक बिन्दु पर इंगित किया गया है, सत्यरूप में उसी प्रकार उपलब्ध करायी जाय जिस रूप या प्रकृति में वांछित है।

8. जनसूचना अधिकारी से यह स्पष्ट कराया जाय किन कारणों से अस्पष्ट/ अधूरी सूचना उपलब्ध करायी गयी है ?

भवदीय,

सम्पूर्ण सिंह
61–बी. अदन बाग कॉलोनी,
दयालबाग, आगरा 282005

DAYALBAGH EDUCATIONAL INSTITUTE
(DEEMED TO BE UNIVERSITY)
DAYALBAGH
AGRA - 282 005, UP (INDIA)

Phone : 0562-2801545, Fax : 0562-2801226
website :- http://www.dei.ac.in

SPEED POST

No. DEI/First-Appeal/RTI_59321/502

06-07-2021

Sh. Sampurn Singh
61-B, Adanbagh Colony,
Dayalbagh
Agra - 282005

Subject: Reply under RTI Act, 2005 – First Appeal

References:
RTI application filed on: 10-03-2021
PIO replied on : 05-04-2021
First Appeal filed on : 14-06-2021 (pre-date 13-04-2021 mentioned in First Appeal)

Dear Mr. Sampurn Singh,

Please refer to your first appeal under RTI Act, 2005 dated 13-04-2021; It is observed with surprise that you have filed first appeal after the expiry of time limit i.e. 30 days from the date of receipt of information provided to you by the PIO of the Institute. Moreover, you have mentioned almost two months earlier date from the actual date of filing the appeal in your first appeal letter.

However, having examined your original RTI application and the reply provided by the Public Information Officer of this Institute vide letter no. DEI/ADMIN/RTI_58921/19 dated 05-04-2021. It has been noted that:-

The necessary information on records has already been provided by the PIO of the Institute. On your requests, more detailed information has also been furnished to you by the establishment section of the Institute out of RTI channel. Your frivolous and contentious demands amount to huge diversion of limited resource of the Institute. Hence, you are requested to desist from it.

Hence, your appeal is disposed off accordingly.

Yours faithfully,

Appellate Authority